राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1540/2012

संगीता सक्सेना

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
2. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, ब्लॉक–8, जवहार लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.09.2012
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.12.1983 को वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर 625–1120 वेतनश्रृंखला में हुई थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.09.1988 को वेतन श्रृंखला में संशोधन कर 1400–2600 किया गया। अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 05.11.1993 से वेतन श्रृंखला 1640–2900 की वेतन श्रृंखला में दिया गया। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा वेतन श्रृंखला में संशोधन करके अपीलार्थी की वेतन श्रृंखला को दिनांक 01.09.1996 से वेतन 1640–2900 संशोधित करके रू. 5500–9000 किया गया। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा वेतन श्रृंखला में संशोधन कर दिनांक 01.07.1998 से वेतन श्रृंखला 5500–9000 को संशोधित कर 6500–10500 कर दिया गया। अपीलार्थी ने अपनी 17 वर्ष की सेवाएं दिनांक 24.12.2000 को पूरी कर ली थी, परंतु अपीलार्थी को इस दिनांक से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी को 22 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर पर आदेश दिनांक 10.06.2008 द्वारा दिनांक 01.07.2006 से वरिष्ठ चयनित वेतनमान 7500–12000 दिया गया, जो गलत है। अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी

को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ उसके द्वारा 17 वर्ष की सेवाएं पूरी करने की दिनांक 24.12.2000 से दिया जाना चाहिए था।

2. अपीलार्थी उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)